प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 09.01.2023

एम्स में नौकरी दिलाने के नाम पर कूटरचित नियुक्ति पत्र देकर पैसा हड़पने के आरोप में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियो पर पूर्ण रुप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियो की गिरफ्तारी के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्ग निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल मार्गदर्शन में श्री शशि भूषण राय प्रभारी निरीक्षक कैण्ट पुलिस की टीम द्वारा थाना कैण्ट गोरखपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 867/2022 धारा 419/420/467/468/471/406/506 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त प्रमोद कुमार पुत्र हरीचन्द्र निवासी सिहटीकर थाना बखीरा जनपद संतकबीर को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

संक्षिप्त घटना का विवरणः-

वादी मुकदमा कन्हई प्रसाद से एम्स गोरखपुर मे नौकरी दिलाने के नाम पर 17 लाख 65 हजार रुपया लेकर कूटरचित नियुक्ति पत्र देकर पैसा हड़पने वाले अभियुक्त प्रमोद कुमार पुत्र हरीचन्द्र निवासी सिहटीकर थाना बखिरा जनपद संतकबीर को म0उ0नि0 दीप मंजरी पाण्डेय चौकी प्रभारी एम्स व मय टीम द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ मे बताया कि मै पहले एक डिजिटल ऑनलाइन सेन्टर मे काम करता था जिसके मालिक तथा उसके 02 पार्टनर ने मुझसे कहा कि कोई ग्राहक ढूंढकर लाओ जो हम लोगो को रुपया दे सके हम लोग उसे एम्स का फर्जी नियुक्ति पत्र देकर पैसा हड़प लेगे जिनके साथ मिलकर मैने कन्हई प्रसाद से 17 लाख 65 हजार रुपये लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

प्रमोद कुमार पुत्र हरीचन्द्र निवासी सिहटीकर थाना बखीरा जनपद संतकबीरनगर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 867/2022 धारा 419/420/467/468/471/406/506 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. **प्रभारी निरीक्षक श्री शशि भूषण राय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर**
2. म0उ0नि0 दीपमंजरी पाण्डेय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 आशुतोष राय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. कां0 विजय शुक्ला थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
5. कां0 संदीप I थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
6. कां0 सुरेश यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर